न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18 / 624

फरीदा पत्नी अब्दुल निजाम जाति मुसलमान निवासी मवासा रोड कस्बा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अतुल वशिष्ट, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 22.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुंख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.11.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 1939 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 2025 रकबा 0.82 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर वादिनी बहैसियत काश्तकार सन् 1970 से निरन्तर काबिज काश्त चली आ रही है । उक्त भूमि पर वादिनी पिछले 40 वर्षों से काबिज काश्त होने से वह उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी हो चुकी है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादिनी को वादग्रस्त आराजी का कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द

फरमाया जावे कि वह वादिनी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.11.2018 के द्वारा वादिनी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.11.2018 से व्यथित होकर वादिनी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादिनी अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर सन् 1970 से काबिज काश्त है और वह कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.11.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादिनी अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । वादग्रस्त आराजी पर वादिनी सन् 1970 से निरन्तर काबिज काश्त है । वादिनी भूमिहीन है, 40 वर्षों से निरन्तर कब्जा होने के कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी है । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारिणी है । राज्य सरकार के विरूद्ध 30 वर्षों के बाद प्रतिकूल कब्जा लागू होता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी का दावा खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.11.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक भूमि है जिस पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.11.2018 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी के द्वारा ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1939 और खसरा नम्बर 2025 के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया है । मुताबिक नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 1 उक्त वादग्रस्त आराजी सरकार के खाते में दर्ज है जिस पर पर वादिनी अपीलान्ट ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश किया है। माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच और माननीय उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के निर्णय के

अनुसार कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते ।

10. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हक किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.11.2018 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 22.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/624

फरीदा पत्नी अब्दुल निजाम जाति मुसलमान निवासी मवासा रोड कस्बा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.11.2018 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 113/दावा/2012

फरीदा पत्नी अब्दुल निजाम जाति मुसलमान निवासी मवासा रोड कस्बा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

...त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.11.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 22.04.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री अतुल वशिष्ट एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.11.2018 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 22.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

22/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा